शोध मंथन, Vol. –VII, No. 2, 2016

ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 एवं सम्बद्ध संशोधनों का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. सुनीता
फॉर्मर फैकल्टी
समाजशास्त्र विभाग
डी. डी. एम. (पी. जी) कॉलेज, फ़िरोज़ाबाद
Email ID: sunitasingh80.agra@gmail.com

सारांश (Abstract)

यह शोध अध्ययन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के ज्ञान एवं उसके प्रावधानों के प्रति जागरूकता को प्रस्तुत कर रहा है। इस अध्ययन के लिए शोध क्षेत्र के रूप में आगरा नगर का चयन किया गया है तथा अन्वेषणात्मक और वर्णनात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है। निदर्शन का चुनाव उपलब्ध्ता के आधार पर 300 महिलाओं (150 एकल परिवार एवं 150 संयुक्त परिवार से) का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए काई–स्क्वायर (chi-square) का प्रयोग किया गया है। χ^2 की गणना के पश्चात् हमें ज्ञात होता है कि 59% एकल और 53% संयुक्त परिवार की महिलाएँ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रति जागरूक नहीं हैं। 91% एकल और 92% संयुक्त परिवार की महिलाएँ इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी रखती हैं।

प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति विशेषतः हिन्दू समाज में काफी उच्च रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक माना गया है। यहाँ पुरुषों के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिन्दू समाज में स्त्री को पुरुष की 'अर्धांगिनी' कहा गया है।

प्राचीन भारतीय साहित्य में एक तरफ यह उल्लेख मिलता है कि नारियों को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी मानकर आराधना होती थी तो दूसरी तरफ नारी को अबला, पराश्रित एवं नियति का दो–टूक दर्शाया गया है। **वैदिक काल** में स्त्री–पुरुष की स्थिति में समानता थी और समाज में पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था थी। परन्तु फिर भी सम्पत्ति पर पति–पत्नी का संयुक्त अधिकार होता था। अतः वस्तुतः वैदिक युग में पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना के तहत महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था।

मध्यकाल में समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था। इस युग में विवाह केवल अपनी ही जाति में हो सकता था। पूर्वजों के श्राद्ध–कर्म में पुत्र का अत्यन्त महत्त्व था। उपनयन संस्कार द्वारा केवल पुत्रों को ही

ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और विधवाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थोप दिये गये थे। इस प्रकार मध्यकाल महिलाओं के लिए 'अन्धकार–युग' साबित हुआ।

ब्रिटिश काल में भारत में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हुए समाज सुधार आन्दोलनों, महिला आन्दोलनों एवं राष्ट्रीय आन्दोलनों ने स्त्री समानता की एक नींव तैयार कर दी थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की प्रस्थिति में परिर्वतन और गति आयी, क्योंकि कुछ नये कानून लागू किये गये [जैसे–हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; दहेज निरोधक अधिनियम, 1961; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; विशेष विवाह अधिनियम, 1956]। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय बताने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनेक आयोग नियुक्त किये गये।

संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में पुरुषों के समान महिलाओं को भी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिकार प्रदान किये गये। प्रस्तुत शोध कार्य में उत्तराधिकार कानून द्वारा स्त्रियों को प्रदान किये गये अधिकारों की जानकारी तथा कानून द्वारा महिलाओं की जागरूकता को जानने का प्रयास किया गया है।

साहित्य की समीक्षा (Literature Review)

नीरा देसाई ने अपने अध्ययन के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि संयुक्त परिवार में महिलाओं को शिक्षा व रोजगार के लिए अनुमति देने में संकोच किया जाता है क्योंकि महिलाओं की पवित्रता को शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्रों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

एम. एन. श्रीनिवास ने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर तर्क दिया है कि महिलाएँ अपने सुख को विवाह, परिवार एवं बच्चों के सन्दर्भ में केन्द्रित करती हैं और इसलिए विवाह उपरान्त दयनीयता, अत्यधिक मितव्ययता का तर्क एवं हिंसक व्यवहार उनकी जीवन प्रणाली का अंग बन जाता है। विवाह के उपरान्त पिता अपनी पुत्री का दान कर उसे दूसरे परिवार का अंग बना देता है। यह परम्परा महिलाओं की अधीनस्तता को प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित करती है।

रूप एल. चौधरी के अनुसार, उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत यदि विधवा को सीमित अधिकार मिले हुए हैं तो वह स्वतः ही पूर्ण स्वामिनी बन जायेगी। धारा 14(2) के तहत यदि कोई अधिकार उसे मिला है तो विधवा स्त्री सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी और उसे अधिकार है कि वह उक्त सम्पत्ति को बेटी के पक्ष में निष्पादित करे और मालिक बनाए।

शोध पद्धतिशास्त्र (Research Methodology)

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्त्री को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये हैं। पत्नी के रूप में स्त्री अपनी सम्पत्ति और निःसन्तान होने पर पति की सम्पत्ति की भी अधिकारिणी होगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस शोध में हमने ये जानने का प्रयास किया कि क्या महिलाएँ उत्तराधिकार अधिनियम की जानकारी रखती हैं ? क्या महिलाएँ यह जानती हैं कि इस कानून के अन्तर्गत बेटा एवं बेटी दोनों को सम्पत्ति पर समान अधिकार है ? क्या महिलाएँ भविष्य में इस कानून का उपयोग करेंगी ?

 ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए 'अन्वेषणात्मक' और 'वर्णानात्मक' शोध प्ररचना (research design) का प्रयोग किया गया है। इस शोध का क्षेत्र (area of study) आगरा नगर है, जो कि उत्तर प्रदेश की महानगरीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई एवं एक महत्त्वपूर्ण जिला है। अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने के लिए हमने चार आवासीय परिसरों–(i) लायर्स कॉलोनी, (ii) गणेश नगर, (iii) दयालबाग एवं (iv) न्यू आगरा को अपनी अध्ययन परिधि (circumference of study) के रूप में चुना है।

इस शोध अध्ययन में तथ्य संग्रहण (data collection) हेतु (i) अनुसूची (questionnarie), (ii) असहभागी अवलोकन (non-participant observation) तथा (iii) साक्षात्कार (interview) को प्राथमिक स्रोतों (primary sources) के रूप में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त पत्र–पत्रिकाओं की रिपोर्ट (report of the news paper) एवं अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदनों को द्वितीयक स्रोतों (secondary sources) के रूप में प्रयोग किया गया है।

इस शोध अध्ययन में निदर्शन (sampling) का चुनाव उपलब्धता (probabilities) के आधार पर किया है। अनुसंधानकर्ता ने निदर्शन को चुनने से पहले उपलब्ध धन, समय, साधन–सूची की उपलब्धता तथा इकाइयों से सम्पर्क स्थापित करने की योग्यता आदि विषयों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उपलब्ध संसाधनों के अनुसार निदर्शन का चुनाव किया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 300 महिला सूचनादाताओं का चयन दो आधार पर किया है–**प्रथम, शिक्षा का स्तर**–जिसे पुनः दो स्तरों में बाँटा है–(i) उच्च शिक्षित महिलाएँ (पी. एच–डी./परास्नातक, बी. एड. /परास्नातक) तथा (ii) मध्यम शिक्षित महिलाएँ (स्नातक, बी. एड./स्नातक/इण्टरमीडिएट) तथा **द्वितीय, परिवार का रूप**–(i) संयुक्त परिवार, तथा (ii) एकाकी परिवार।

इस विषय पर शोध करते समय उत्तरदाताओं द्वारा सही जानकारी देते समय डरना/झिझकना, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी न देना जैसी कठिनाइयाँ शोधार्थी के सामने आयीं। इसके अतिरिक्त उत्तरदाताओं से सही जानकारी लेने के लिए कई बाधाएँ उत्पन्न हुईं, जिनका निवारण अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने अपनी विश्लेषणात्मक तथा तर्क सम्बन्धी कुशलता से किया। यहाँ यह भी ध्यान रखा गया कि भाषा की जटिलता तथा उत्तरदाता की अन्तर्मुखता शोध के उद्देश्यों को प्रभावित न करें।

तालिका 1

		एकल परिवार		संयुक्त परिवार	
		संख्या	%	संख्या	%
I धार्मिक स्थिति					
1.	हिन्दू	128	85	110	73
2.	सिक्ख	18	12	34	23
3.	ईसाई	-	-	-	-
4.	जैन	4	3	6	4

ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

5.	मुस्लिम	-	-	-	-
योग		150	100	150	100
II शैक्षिक स्थिति					
1.	इण्टरमीडिएट	26	17	40	27
2.	स्नातक	40	26.66	42	28
3.	स्नातक, बी. एड.	10	7	8	5
4.	परास्नातक	34	22.67	52	35
5.	परास्नातक, बी. एड.	34	22.67	8	5
6.	पी–एच. डी.	6	4	-	-
	योग	150	100	150	100
III धार्मिक स्थिति					
1.	कार्यशील	20	13	26	17
2.	गृहिणी	130	87	124	83
	योग	150	100	150	100

तालिका 2

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का ज्ञान (जागरूकता) तथा परिवार, धर्म, शिक्षा एवं व्यवसाय के साथ अन्तर्सम्बन्ध

		जागरूक	जागरूक नहीं	कुल	χ^2_1 **(0.05)**	$\chi^2_{cal.}$	निर्णय
I परिवार							
1.	एकल	62	88	150	3.84	0.86	अर्थपूर्ण
2.	संयुक्त	70	80	150			
	योग	132	168	300			
II धर्म					χ^2_2 (0.05)	$\chi^2_{cal.}$	
1.	हिन्दू	108	130	238	5.99	2.69	अर्थपूर्ण
2.	सिक्ख	22	30	52			
3.	जैन	2	8	10			
	योग	132	168	300			
III शिक्षा					χ^2_1 (0.05)	$\chi^2_{cal.}$	
1.	मध्यम शिक्षित	54	114	168	3.84	21.79	अर्थहीन
2.	उच्च शिक्षित	78	54	132			
	योग	132	168	300			

 ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

IV व्यवसाय					χ_1^2 (0.05)	$\chi_{cal.}^2$	
1.	कार्यशील	30	16	46	3.84	9.29	अर्थहीन
2.	गृहिणी	104	150	254			
	योग	134	166	300			

P = 0.05, $\chi_{cal.}^2 < \chi_{tab.}^2$ (significant) अर्थपूर्ण , $\chi_{cal.}^2 > \chi_{tab.}^2$ (insignificant) अर्थहीन

निष्कर्ष (Conclusion)

वर्तमान शोध अध्ययन 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 एवं सम्बद्ध संशोधनों का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण', उत्तराधिकार के नियमों से सम्बन्धित है। इस अध्ययन का मुख्य बिन्दु महिलाएँ हैं। उक्त शोध में हमने उपलब्धता के आधार पर 300 महिलाओं का चयन किया है। तालिका 1 से हमें महिलाओं की धार्मिक, शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्थिति ज्ञात होती है। उक्त तालिका का अध्ययन करने पर हमने पाया कि चयनित 300 महिलाओं में सर्वाधिक हिन्दू धर्म को मानने वाली परास्नातक एवं गृहिणी हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को निष्कर्ष का रूप देने से पहले संग्रहित तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जिसके अन्तर्गत संग्रहित तथ्यों को चार समूहों (पारिवारिक संरचना, धार्मिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति तथा व्यावसायिक स्थिति) में विभाजित किया। इस शोध अध्ययन में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए χ^2 (chi-square) का प्रयोग किया है। तालिका 2 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का ज्ञान तथा परिवार, धर्म, शिक्षा एवं व्यवसाय के साथ अन्तर्सम्बन्ध को χ^2 की गणना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका से ज्ञात होता है कि इस अधिनियम से परिचित अधिकांश महिलाएँ एकल परिवार की, हिन्दू धर्म को मानने वाली, मध्यम शिक्षित एवं गृहिणी हैं। इस तालिका में जहाँ पारिवारिक एवं धार्मिक स्थिति हमारी परिकल्पनाओं को अर्थपूर्ण (significant) करती हैं, वहीं शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्थिति परिकल्पना को अर्थहीन (insignificant) करती हैं। इस प्रकार सांख्यिकीय विश्लेषण करने से हमें ज्ञात होता है कि कानून के प्रति जागरूकता के लिए परिवार और धर्म निर्भर नहीं करता बल्कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक स्थिति निर्भर करती है।

तालिका 3

सम्पत्ति पर बेटा एवं बेटी का समान अधिकार तथा परिवार, धर्म, शिक्षा एवं व्यवसाय के साथ अन्तर्सम्बन्ध

		जागरूक	जागरूक नहीं	कुल	χ_1^2 (0.05)	$\chi_{cal.}^2$	निर्णय
I परिवार							
1.	एकल	136	14	150	3.84	0.18	अर्थपूर्ण
2.	संयुक्त	138	12	150			
	योग	274	26	300			
II धर्म					χ_2^2 (0.05)	$\chi_{cal.}^2$	

ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

1.	हिन्दू	228	10	238	5.99	30.49	अर्थहीन
2.	सिक्ख	52	-	52			
3.	जैन	6	4	10			
	योग	286	14	300			
III शिक्षा					χ_1^2 (0.05)	$\chi_{cal.}^2$	
1.	मध्यम शिक्षित	162	6	168	3.84	2.35	अर्थपूर्ण
2.	उच्च शिक्षित	122	10	132			
	योग	284	16	300			
IV व्यवसाय					χ_1^2 (0.05)	$\chi_{cal.}^2$	
1.	कार्यशील	42	4	46	3.84	1.23	अर्थपूर्ण
2.	गृहिणी	224	12	254			
	योग	284	16	300			

तलिका 3 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार सम्पत्ति पर बेटा एवं बेटी दोनों के समान अधिकार का परिवार, धर्म, शिक्षा एवं व्यवसाय के साथ अन्तर्सम्बन्ध को काई–स्क्वायर (chi-square) की गणना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस तालिका से ज्ञात होता है कि अधिकांश संयुक्त परिवार की, हिन्दू धर्म को मानने वाली, मध्यम शिक्षित गृहिणी इस प्रावधान से परिचित हैं। इस तालिका में जहाँ पारिवारिक, शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्थिति हमारी परिकल्पना को अर्थपूर्ण (significant) करती है, वहीं धार्मिक स्थिति हमारी परिकल्पना को अर्थहीन (insignificant) करती है। इस प्रकार सांख्यिकीय विश्लेषण करने से हमें यह ज्ञात होता है कि परिवार, शिक्षा और व्यवसाय कानून के प्रावधान के प्रति जागरूकता के लिए जिम्मेदार हैं, धर्म नहीं।

संग्रहित तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में जो तथ्य सामने आये हैं, वे इस प्रकार हैं–

(1) अधिकांश महिलाएँ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रति जागरूक नहीं हैं। अर्थात् वह यह नहीं जानतीं कि उत्तराधिकार अधिनिमय क्या है ?

(2) लेकिन हमने यह पाया कि जहाँ एक ओर अधिकांश महिलाएँ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में कम जानती हैं, वहीं दूसरी ओर इस अधिनियम के प्रावधानों (विशेष रूप से महिलाओं को अपने पिता/पति की सम्पत्ति में बराबर का अधिकार) से भली–भाँति परिचित हैं।

(3) महिलाओं को कानूनी बिन्दुओं की जानकारी नहीं है, इसलिए वे अपने अधिकारों का न तो उपयोग कर पाती हैं और न ही कानून का सहारा ले पाती हैं।

(4) उच्च शिक्षित तथा कार्यशील (आत्मनिर्भर) महिलाएँ, मध्यम शिक्षित महिलाओं तथा गृहिणियों की तुलना में अधिक जागरूक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता, महिलाओं के जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

(5) प्राप्त तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि अब महिलाएँ स्वावलम्बी हो रही हैं।

(6) आज महिलाओं के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। यही कारण है कि अधिकांश महिलाएँ अपनी सम्पत्ति में बेटा व बेटी दोनों को बराबर अधिकार देने के पक्ष में हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *श्रीनिवास एम. न.–''प्रिंसीपल्स ऑफ निदे लॉ'', लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1970*
2. *देसाई नीरा–'भारतीय समाज में नारी' मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1982*
3. *देसाई, नीरा तथा कृष्णराय–''वूमैन एण्ड सोसायटी इन इण्डिया'', अंजना पब्लिकेशन, दिल्ली, 1990*
4. *प्रभा आप्टे–''भारतीय समाज में नारी'', क्लासिक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर 1996*
5. *उमाशंकर व पुरारी, प्रेमलता–''इण्डियन वूमैन अॅडे'', दिल्ली पब्लिशर, 1996*
6. *चौधरी रूप एल.–''हिन्दू वूमन्स राइट टू प्रोपर्टी'', फारमा के. एल. मुखेपाध्याय पब्लिशर, कलकत्ता, 1961*
7. *बाउलडिंग, इलिसे–''वूमैन इन दा ट्वनटिंग सैंचुरी वर्ल्ड'', सोग पब्लिकेशन्स, न्यूयार्क, 1977*
8. *Lundberg, G. A.- "Social Research" Longmans Green & Co. New York 1952*